संख्या:01/2025/46-1001(009)/2/2022

प्रेषक,

सी.इंदुमती,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी,

उ0प्र0 लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2025

विषय: पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिग नीति (पेराई सत्र 2021-22 से पेराई सत्र 2025-26 तक) में यथावश्यक संशोधन परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खाण्डसारी इकाईयों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पंचवर्षीय खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति (पेराई सत्र 2021-22 से पेराई सत्र 2025-26 तक) जारी की गयी थी। इसी क्रम में पंचवर्षीय खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति में निम्नानुसार यथावश्यक संशोधन/परिवर्तन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

प्रस्तर संख्या	पंचवर्षीय खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति विद्यमान नियम/व्यवस्था	में प्रस्तावित संशोधित नियम/व्यवस्था
प्रस्तर-1(क)	पावर क्रशरों एवं खाण्डसारी इकाईयों के नये लाईसेंस: (क) संस्थापित चीनी मिल से 7.5 किमी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाईसेंस प्रदान किया जायेगा।	प्रस्तर-1(क) संस्थापित चीनी मिल से 15 किमी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाईसेंस प्रदान किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

प्रस्तर-1(घ)(i)	पावर क्रशरों एवं खाण्डसारी इकाईयों के नये लाईसेंसः (घ)(i) 33x46 सेन्टीमीटर तक के आकार वाले पावर क्रशरों के लाईसेंस हेतु आवेदनकर्ता वांछित दस्तावेजों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्रों पर 50 घण्टे में सहायक चीनी आयुक्त एवं इतनी ही अवधि में चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।	प्रस्तर-1(घ) समस्त आकार वाले पावर क्रशरों के लाईसेंस हेतु आवेदनकर्ता वांछित दस्तावेजों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इकाईयां के लाईसेंस का निर्गमन प्रस्तावित इकाई स्थल से निकटतम संस्थापित चीनी मिलों को पिछले 03 पेराई सत्रों में गन्ने की उपलब्धता एवं प्रस्तावित इकाई स्थल से 15 किमी. की परिधि के अन्तर्गत पिछल 03 पेराई सत्रों में कार्यरत खाण्डसारी इकाईयों की संख्या के अधीन होगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
प्रस्तर-1(घ)(ii)	पावर क्रशरों एवं खाण्डसारी इकाईयों के नये लाईसेंसः (घ)(ii) 33x46 सेन्टीमीटर तक से अधिक के आकार वाले पावर क्रशरों के लाइसेंस हेतु आवेदनकर्ता वांछित दस्तावेजों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा, परन्तु कथित आकार से ऊपर की इकाईयों के लाइसेंस का निर्गमन प्रस्तावित इकाई स्थल की परिधि के अन्तर्गत निकटतम संस्थापित चीनी मिलों को पिछले 03 पेराई सत्रों में गन्ने की उपलब्धता एवं प्रस्तावित इकाई स्थल से 7.5 कि.मी. की परिधि में पिछले 03 पेराई सत्रों में कार्यरत खाण्डसारी इकाईयों की संख्या के अधीन होगा।	

(2) प्रदेश में संचालित लाईसेंसकृत खाण्डसारी एवं गुड़ विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ, गन्ना मूल्य का नगद भुगतान न करते हुए, ऑनलाईन माध्यम से सीधे गन्ना कृषकों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) पंचवर्षीय खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति (पेराई सत्र 2021-22 से पेराई सत्र 2025-26 तक) में यदि किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन अपेक्षित है, तो नीति के वित्तीय तथा प्रशासकीय दृष्टि से होने वाले संशोधनों के लिए मा. मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

(4) निर्गत नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिये चीनी आयुक्त अधिकृत होंगे।

(5) यह पंचवर्षीय खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति पेराई सत्र 2025-26 तक प्रभावी रहेगी।

2- अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सी.इंदुमती)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
5- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी, उ0प्र0।
7- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नूतन अग्निहोत्री)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in